

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं.

अर्न्तगत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

नाम

जनाम

गैर सायल

पता स्थान सरकार

श्री जन स्वास्थ रेव पुत्र श्री जगप्रियता विमल

पटवारी हल्का

कौम निवासी

तहसील गडरारोड़ जिला बाइमेर

"निर्णय"

दिनांक 13/04/10

पत्रावली आज बमुकाम..... में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तब इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 815315 का 41.5 ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका के खसरा नं. 45 रकबा में से बीघा किस्म राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कार्य/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तालिल प्रकाश प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमण भंगित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही आर्थिक क्षति को हमने 10 पैसा गुणा जुर्माना सशि रुपये पूर्णिक में 50 अक्षर ह. मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो। निरीक्षक भू.अ. वृत KKE को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खाड़ी फसल को तबाल करवा करवा साकार प्राप्त कर फसल गिलाही पर्दे वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि वा कब्जा प्रत्येक प्रकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेदी जावे

निर्णय दिनांक 13/04/10 को सरेआम सुनाया गया।

जुर्माना 50 कसल नि.
कुल योग 50 रजि.के पृष्ठ सं. 43
वर्ष 2010 में इन्द्राज किया गया

राजस्व लेखाकार
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाइमेर

तहसीलदार
गडरारोड़